ADST(A)
18/8/22

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 4295-4301 दिनांक 18.08.2022

:: संशोधित विज्ञप्ति ::

उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड से प्राप्त प्रस्तावानुसार ग्राम पंचायत तलेटी के ग्राम तलेटी में पर्यटन की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के आधार पर पर्यटन इकाई प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई भूमि की निलामी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी किये गए ई-ऑक्शन कार्यक्रम क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 2768-73 दिनांक 18.05.2022 तथा संशोधित ई-ऑक्शन कार्यक्रम क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 3208-14 दिनांक 14.06.2022 को तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है।

JD (Inv.)
22/8/22

जिला कलक्टर, सिरोही

DD (I)

क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 4295-4301 दिनांक 18.08.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु जरिये ईमेल director.tourism@rajasthan.gov.in पर प्रेषित है।
2. उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड को भेजकर लेख है कि प्रकरण में निलामी हेतु आरक्षित की गई भूमि मौजा तलेटी में स्थित है तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण) / अजमेर भारतीय रेलवे, अजमेर के पत्रांक / 25 दिनांक 24.06.2022 के अनुसार तरंगाहील-अम्बाजी-आबूरोड नवीन लाईन प्रोजेक्ट के लिये अवाप्ति की जाने वाली भूमि में ग्राम तलेटी की कुल 15.015 हैक्टेयर भूमि शामिल है। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / प.12(3)(66)राजस्व / 2020 / 7337-44 दिनांक 10.12.2021 के द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई भूमि तरंगाहील-अम्बाजी-आबूरोड नवीन लाईन प्रोजेक्ट के लिये अवाप्त की जाने वाली भूमि में शामिल तो नहीं है या अवाप्त की जाने वाली भूमि से प्रभावित तो नहीं है, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करावें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।
3. सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू को उनके पत्रांक / यूआईटी आबू / तकनीकी / 2022 / 564 दिनांक 01.07.2022 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सिरोही को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जिला कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, आबूपर्वत को भेजकर लेख है कि विभागीय उच्चाधिकारियों से समन्वय करते हुए उक्त विज्ञप्ति को पर्यटन विभाग, जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. तहसीलदार, आबूरोड।
7. गार्ड फाईल।

जिला कलक्टर, सिरोही